न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 08/2024

प्रकरण दर्ज तिथि :— 23.09.2024

सीसीएमएस नम्बर :— 2024/231

अपीलान्ट

कानिया उर्फ कानाराम पुत्र स्व. खीया उर्फ खीयाराम, जाति बावरी उम्र साल निवासी मेसिया तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1.सरपंच ग्राम पंचायत बूटीवास वर्तमान पंचायत मेसिया तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान।

2. तहसीलदार रायपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— 1 श्री मदनलाल लक्षकार अधिवक्ता अपीलान्ट

2 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एकपक्षीय कार्यवाही एवं 02 सरकारी पैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक :— 09.01.2025

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल लक्ष्कार ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्ध अपील के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता खीया पुत्र ईश्वर बावरी की खातेदारी जमीन सरहद मौजा मेसिया पटवार हल्का मेसिया तहसील रायपुर मे खसरा न. 539 रकबा 09 बीघा 12 बिंस्वा एव खसरा न. 284 रकबा 09 बीघा 08 बीस्वा कुल 19 खातेदारी जमीन आयी हुयी है। अपीलान्ट के पिता स्व.खीया पुत्र ईश्वर के पांच पुत्र कमश धना नारायण कानिया अपीलान्ट शंकरिया मिसरिया है। अपीलान्ट के अलावा सभी भाईयो का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट के पिता स्व.खीया के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज खातेदारी खसरा न. 539 रकबा 09 बीघा 12 बीस्वा व खसरा न. 284 रकबा 09 बीघा 08 बीस्वा कुल रकबा 19 बीघा जमीन का फोतेदगी नामान्तरण संख्या 152 के अपीलान्ट के पिता स्व.खीया पुत्र ईश्वर फोतेदगी नामान्तरण मे अपीलान्ट सहित पांच पुत्र होते हुए भी विधि विरूद्व गलत एंव अवैध तरीके से सिर्फ एक पुत्र नारायण के नाम सम्पूर्ण जमीन तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमो के विरूद्व स्वीकृत करने मे कानूनी एंव वाक्याथी भारी भूल की है। स्व.खीया के पांच पुत्र थे, जो ग्रम पंचायत द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र. एंव नामान्तरण संख्या 308 से प्रमाणित एंव स्पष्ट है। नामान्तरण संख्या 152 बिना उचित जांच पडताल किये विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट एंव अन्य उसके भाईयो को नुकसान पहुचाने की बदनियती से नियमो कें विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा सिर्फ एक पुत्र नारायण के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने मे भारी अनियमितता कानूनी एंव वाक्याथी भारी भूल की है। तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसे निरस्त फरमाया जाकर बाद मे जांच स्व.खीया के पांचो के नाम भरवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अपीलान्ट के पिता स्व.खीया के ग्राम मेसिया मे ही खसरा न. 49/3 रकबा 23 बीघा जमीन मे भी राजस्व रिकार्ड मे सह हिस्सेदार के साथ अपीलान्ट के पिता स्व.खीया पुत्र ईश्वर के नाम इन्द्राज हो रखा था, जिसमे वादी के पिता स्व.खीया के स्वर्गवास होने पर उसका फोतेदगी नामान्तरण संख्या 308 भरा गया जिसमे नामान्तरण संख्या 308 मे स्व.खीया के पांच पुत्र कमश धना नारायण काानिया अपीलान्ट शंकरिया मिसरिया के नाम इन्द्राज नामान्तरण संख्या 308 मे स्पष्ट रूप से हो रखा है। प्रमाणित प्रतिलिपी वास्ते अवलोकनार्थ अपील के साथ पेश हैं। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी जमीन खसरा न. 539 व 284 की जमीन पर बैंक से ऋण आदि लेने के लिये पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का से दिनांक 23.08.2024 को जानाकारी मिली कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

उक्त जमीन का उसके पिता स्व. खीया के फोतेदगी नामान्तरण संख्या 152 अकेले नारायण के नाम इन्द्राज हो रखा है। उसी दिन नामान्तरण संख्या 308 की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवायी, तो नामान्तरण संख्या 308 मे अपीलान्ट के पिता स्व.खीया के उपरोक्त पांचो पुत्रो के नाम इन्द्राज हो रखा है अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 23.08.2024 को उपरोक्त तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 के गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जो तथाकथित नामान्तरण देखने मात्र से स्पष्ट है कि तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 विधि विरूद्ध नियमो के विपरित अवैध बिना जांच पडताल सरासर गलत भरकर स्वीकृत किया गया है जो नामान्तरण संख्या 152 प्रारम्भ से ही शून्य है, जिसे निरस्त किया जाकर विधिवत रूप से पुनः नामान्तरण भरकर स्व. खीया के सभी वारीसान के नाम का इन्द्राज किया जावे। तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 सिर्फ अकेले नारायण के नाम का हो यह जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 23.08.2024 के पहले कत्तई नही थी, तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23.08.2024 को नामान्तरण का प्रमाणित प्रति लेने पर हुयी, लिहाजा न्यायहित मे नामान्तरण स्वीकृत से दिनांक 23.08.2024 का समय सीमा कन्डोम माफ की जाकर अपील स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावे। अपील जानकारी होने से अन्दर मियाद पेश है। तथाकथित नामान्तरण रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत करने पर श्रीमानजी को अपील सुनने का श्रवणधिकार, होने से अपील श्रीमानजी समक्ष प्रस्तुत है।अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील विधि विरूद्ध गलत भरे गये नामान्तरण संख्या 152 को खारिज फरमाकर नये सिरे से पुनः विधिवत रूप से नामान्तरण किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस तलबी की गई। नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं जो संलग्न किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता खीया पुत्र ईश्वर वावरी की खातेदारी जमीन सरहद मौजा मेसिया मे खसरा न. 539 रकवा 09 वीघा 12 विस्वा एव खसरा न. 284 रकवा 09 वीघा 08 वीस्वा कुल 19 खातेदारी जमीन आयी हुयी है। अपीलान्ट के पिता स्व.खीया पुत्र ईश्वर के पांच पुत्र कमश धना नारायण कानिया अपीलान्ट शंकरिया मिसरिया है। अपीलान्ट के अलावा सभी भाईयो का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट के पिता स्व.खीया के स्वर्गवास के वाद अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज खातेदारी खसरा न. 539 रकवा 09 वीघा 12 बीस्वा व खसरा न. 284 रकवा 09 वीघा 08 वीस्वा कुल रकवा 19 वीघा जमीन का फोतेदगी नामान्तरण संख्या 152 के अपीलान्ट के पिता स्व.खीया पुत्र ईश्वर फोतेदगी नामान्तरण मे अपीलान्ट सहित पांच पुत्र होते हुए भी विधि विरूद्ध गलत एंव अवैध तरीके से सिर्फ एक पुत्र नारायण के नाम सम्पूर्ण जमीन तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमो के विरूद्ध स्वीकृत करने मे कानूनी एंव वाक्याथी भारी भूल की है। स्व.खीया के पांच पुत्र थे, जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र. एंव नामान्तरण संख्या 308 से प्रमाणित एंव स्पष्ट है। नामान्तरण संख्या 152 विना उचित जांच पडताल किये विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट एंव अन्य उसके भाईयो को नुकसान पहुचाने की वदनियती से नियमों के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा सिर्फ एक पुत्र नारायण के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने मे भारी अनियमितता कानूनी एंव वाक्याथी भारी भूल की है। तथाकथित नामान्तरण संख्या 152 प्रारम्भ से ही शून्य है। जिसे निरस्त फरमाया जाकर वाद मे जांच स्व.खीया के पांचो के नाम भरवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उक्त नामान्तरकण को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया हैं।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 152 को निरस्त करने में अपनी सहमति प्रदान की।

वकील अपीलान्ट की अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत बूटीवास द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 152 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील, अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत बूटीवास द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 152 को अपास्त/निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि उक्त नामान्तरकरण के संबंध में विस्तृत जांच कर नियमानुसार गुण–अवगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर, (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 09.01..2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)